

HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH

NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 143 OF 2023

IN THE MATTER OF:-

Sunil Vaid & Anr.

... .Petitioner

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors.

. . . . Respondents

**ACTION TAKEN REPORT FILED ON BEHALF OF THE
RESPONDENT/GHAZIABAD NAGAR NIGAM**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH:

1. That the present matter was last listed before this Hon'ble Tribunal on 06.10.2023, whereby this Hon'ble Tribunal passed the following orders:

"5. Learned Counsel for Ghaziabad Nagar Nigam had submitted that in compliance of the order dated 26.05.2023, the matter was deliberated and put in the meeting of the Executive Committee of Ghaziabad Nagar Nigam as constituted under Section 5 (b) of the U.P. Municipal Corporation Act, 1959, and the same has been passed by the Executive Committee of the Municipal Corporation on 08.08.2023 and the decision of the Executive Committee will be implemented immediately after approval by Board of Ghaziabad Nagar Nigam.

...

7. The issues regarding proper maintenance of public parks and removal of encroachments from the same need to be looked into by the concerned statutory authorities. Paucity of funds cannot be projected by any of them as an excuse for neglect for proper maintenance and shortage of infrastructure cannot be claimed to justify non-removal of encroachments. 8. The concerned authorities being instrumentalities of State are under constitutional obligation to protect and improve the environment. We therefore direct District Magistrate, Ghaziabad to convene a meeting of Vice Chairman, Ghaziabad Development Authority, Commissioner, Ghaziabad Municipal Corporation, CEO, U.P. Awaz Evam Vikas Parishad within one month for resolving all issues regarding proper maintenance of the public parks and removal of encroachments."

2. That in compliance of the order dated 06.10.2023 passed by this Hon'ble Tribunal, meeting was convened by the District Magistrate, Ghaziabad on 08.11.2023, inter-alia, for the taking over of the maintenance of parks by the Ghaziabad Nagar Nigam and removal of encroachments. The true copy of the minutes dated 10.11.2023 for the meeting of 08.11.2023 is annexed herewith and marked as ANNEXURE A-1.
3. That Addl. Municipal Commissioner, Ghaziabad Nagar Nigam communicated the Secretary- GDA on 05.01.2024 to complete the formalities regarding taking over of the maintenance of parks namely- Chitragupta Park, Bhimrao Ambedkar Park, Krishna Vatika Park and Podium Park in pursuance of the resolution of the Board dated 26.09.2023. The true copy of the letter dated 05.01.2024 is annexed herewith and marked as ANNEXURE A-2. That the minutes of the meeting of the Board are annexed herewith and marked as ANNEXURE A-3.
4. That in anticipation of the formalities to be completed by the GDA, the Meerut Nagar Nigam issued tender for the care-taking of the parks for 5 months. The technical bids in the present matter were opened on 15.01.2024. The copy of the e-tender document dated 14.12.2023 along-with its newspaper publication is annexed herewith and marked as ANNEXURE A-4.
5. That in anticipation of the formalities to be completed by the GDA, the Meerut Nagar Nigam issued tender for the repair and painting of the parks. The technical bids in the present matter will be open on 18.01.2024. The copy of the

e-tender document dated 02.01.2024 along-with its newspaper publication is annexed herewith and marked as ANNEXURE A-5.

6. That there were no encroachments inside the above parks. However, outside the parks, there were some temporary encroachments, which were removed and such encroachments, if any, are checked periodically and removed in accordance with law.
7. That the action taken report is submitted for the kind perusal and necessary directions of this Hon'ble Tribunal.

Ghaziabad Nagar Nigam

Through Counsel



(VIBHAV MISHRA)

Advocate-on-Record

Ch No. 221, CK Daphtary Lawyers' Chamber,
Tilak Lane, Supreme Court of India,
New Delhi-110001

(e): vibhavamishra@outlook.in

(M): 9473565666



ANNEXURE A-1

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 191

/एस0टी0-डी0एम0/कलेक्ट्रेट/2023

दिनांक : 10 नवम्बर, 2023

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 सं0-143/2023 सुनील

वैद्य व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06-10-2023 के

अनुपालन के सम्बन्ध में आहूत बैठक का कार्यवृत्त।

नगर आयुक्त

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0

संख्या-143/2023 सुनील वैद्य व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में वाद के सम्बन्ध में वैशाली

गाजियाबाद स्थित चित्रगुप्त पार्क, अम्बेडकर पार्क, कृष्णा पार्क एवं पोडियम पार्क में वहाँ के

सीड वेंडर्स द्वारा एम0एस0डब्लू0 डम्प किये जाने तथा पार्कों में अतिक्रमण किये जाने के

विरुद्ध योजित याचिका के सम्बन्ध में पारित माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के

आदेश दिनांक 06-10-2023 के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को नोडल अधिकारी नामित किया गया

है।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेशों के अनुपालन

में प्रकरण से सम्बन्धित विभागों के साथ दिनांक 08-11-2023 को अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता

में कलेक्ट्रेट गाजियाबाद स्थित महात्मा गाँधी सभागार में बैठक आहूत की गयी। जिसमें

निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया :-

- 1- श्री मानवेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 2- श्री अनुज कुमार सिंह, उद्यान अधिकारी, नगर निगम गाजियाबाद।
- 3- श्री राकेश चन्द्रा, अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
- 4- श्री एस0के0 भारती, उद्यान अधिकारी, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
- 5- श्री कुँवर संतोष कुमार, सहायक पर्यावरण अभियन्ता, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, गाजियाबाद।

बैठक में लिए गये निर्णय :-

बिन्दु संख्या-1 के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता एवं उद्यान अधिकारी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया कि वह उपरोक्त 04 पार्कों के व्यय के सम्बन्ध में जानकारी/आंकलन अविलम्ब नगर निगम को उपलब्ध कराये साथ ही नगर निगम को निर्देशित किया गया कि वह सम्बन्धित पार्कों के अनुरक्षण सम्बन्धी आंकलन/अग्रेत्तर कार्यवाही की कार्ययोजना बनाकर 07 दिवसों के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें।

(कार्यवाही-नगर निगम व गाजियाबाद विकास प्राधिकरण)



गाजियाबाद नगर निगम

(ISO : 9001, 14001, 18001 द्वारा प्रमाणित संस्था)

प्रेषक

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

ANNEXURE A-2

सेवा में,

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

पत्रांक:- 6608 / 2023-24

दिनांक:- 05/01/2024

विषय:- मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-143 / 2023 सुनील बैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26.05.2023 के अनुपालन में सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-143 / 2023 सुनील बैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बन्ध में मान0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2023 को पारित आदेश का अवलोकन करें, जो निम्नवत् है :-

The report of the Joint Committee shows that there is no proper maintenance of the public parks which suffer from many shortcomings. 7. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Officers duly authorized by Commissioner Ghaziabad Nagar Nigam and Commissioner Ghaziabad Development Authority not below the rank of Additional Commissioner to be essential for producing the relevant documents regarding compliance with environmental norms and assisting this Tribunal in just and proper adjudication of the questions involved in the case and they are accordingly directed to remain present before this Tribunal on the date of hearing fixed. 8. List for further consideration on 29.08.2023.

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 19.08.2023 के अनुपालन में वैशाली योजना के अन्तर्गत स्थित 04 पार्क क्रमशः चित्रगुप्त पार्क, भीमराव अम्बेडकर पार्क, कृष्ण वाटिका पार्क तथा पौडियम पार्क के अनुरक्षण/रख-रखाव का कार्य गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव दिनांक 28.07.2023 को आयोजित मान0 कार्यकारिणी की बैठक के समक्ष विचारार्थ/स्वीकृतार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसे तददिनांक को ही स्वीकृति प्रदान की गयी (छायाप्रति संलग्न)।

अतः उपरोक्तानुसार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा वैशाली गाजियाबाद में स्थित चित्रगुप्त पार्क, अम्बेडकर पार्क, कृष्णा पार्क एवं पौडियम पार्क को गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरण करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
dcl

अपर नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
dcl

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

05/01/24

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
05/01/24

कार्यालय: गाजियाबाद नगर निगम

मा0 सदन की बैठक दिनांक 26.09.2023 का कार्यवृत्त (कार्यवाही) के सम्बन्ध में।

दिनांक 26.09.2023 को अपराह्न: 11.00 बजे मा0 सदन की बैठक आहूत की गई, वन्देमातरम गायन के साथ मा0 महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी के निर्देश पर बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें मा0 सदन के सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार रही :-

क्र.सं.	पार्षद का नाम	वार्ड संख्या	क्र.सं.	पार्षद का नाम	वार्ड संख्या
1	श्री संजय कुमार	100	48	गोपाल तिसीदिया	4
2	श्री हरीश चौधरी सिंह	79	49	श्री सतेन्द्र पाल सिंह	54
3	श्री पवन कुमार गौतम	24	50	श्री राजकुमार सिंह	89
4	श्री संतोष कुमार सिंह	65	51	श्री शिवम शर्मा	91
5	श्री ओमप्रकाश सिंह	14	52	श्री राधेश्याम त्यागी	57
6	श्री देवनारायण शर्मा	58	53	श्रीमती शिल्पा चौधरी	61
7	श्री फरह्या लाल	25	54	श्रीमती रजनी	13
8	श्रीमती मिथलेश तितारिया	8	55	श्रीमती सुमनलता	50
9	श्रीमती सुनीता देवी	6	56	श्रीमती परमेश यादव	42
10	श्रीमती मुन्नी देवी	7	57	श्रीमती पवित्रा देवी	44
11	श्री कुलदीप त्यागी	69	58	श्री जयकिशन	17
12	श्रीमती पूनम सिंह	15	59	श्रीमती प्रीती जैन	99
13	श्रीमती छया त्यागी	11	60	श्री हिमांशु शर्मा	75
14	श्री आदिल मलिक	90	61	श्रीमती नीलम	16
15	श्री जोगिन्द्र सिंह	43	62	श्री नितिन कुमार	31
16	श्री अनिल तोमर	98	63	श्रीमती सिमरन मलिक	93
17	श्री अनुज त्यागी	87	64	श्रीमती खुशीदा वेगम	34
18	श्री उदित मोहन	39	65	श्रीमती कुसुम गोयल	72
19	श्री विनीत दत्त	22	66	श्री मदन राय	86
20	श्री धीरेन्द्र यादव	33	67	श्री धीरेन्द्र त्यागी	49
21	श्री राजकुमार नागर	65	68	श्रीमती तन्वुसमजलान	64
22	श्री अजय शर्मा	67	69	श्रीमती प्रतिमा शर्मा	36
23	श्री सुधीर कुमार	28	70	श्री रवि भाटी	37
24	श्री उमेश नागर	71	71	श्री कृष्ण मोहन खेमका	94
25	श्री प्रवीण कुमार	84	72	श्री अमिषेक चौधरी	52
26	श्री अमित त्यागी	47	73	श्री श्रीभगवान	97
27	श्री मनोज त्यागी	56	74	श्री भूपेन्द्र कुमार	41
28	श्री अजीत निगम	96	75	श्रीमती सुमन	53
29	श्री राजीव शर्मा	59	76	श्रीमती रीना	30
30	श्रीमती कविता भाटी	83	77	श्रीमती शशि सिंह	18
31	श्रीमती पिकी	5	78	श्री चौधरी गौतम	3
32	श्रीमती सीमा यादव	51	79	श्रीमती नीलम भारद्वाज	77
33	श्रीमती रेखा गोस्वामी	10	80	श्रीमती किरन देवी	82
34	श्रीमती साजिदा	48	81	श्रीमती रूकसाना सेफी	95
35	श्री रामनिवास	70	82	श्रीमती सुगन्दा सिंह	45
36	श्री नरेश भाटी	74	83	श्रीमती रुबीना अब्बासी	92

सुनीता दयाल

प्रस्ताव संख्या :- 12

मा० पार्षद श्रीमती कृष्णा त्यागी द्वारा गन्दाग्राम अम्बेडकर भवन को लेकर गन्दाग्राम में हमेशा बवाल होता रहता है। यह नगर निगम की सम्पत्ति है इस पर विस्तार से चर्चा हो इसलिये इस प्रस्ताव को बोर्ड बैठक में रखवाने हेतु प्रस्ताव मा० सदन के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

चर्चा :- मा० पार्षद श्री धीरेन्द्र कुमार त्यागी द्वारा मा० सदन को अवगत कराया कि उक्त भूमि नगर निगम सम्पत्ति है, मा० मंगल सैन कोरी, एम०एल०सी० के द्वारा उनके कोटे भवन का निर्माण कराया गया। कुछ माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, नगर निगम के अधिकारी तथा फोर्स ने वहाँ जाकर उसे कब्जा मुक्त कराते हुये भवन पर ताला लगाया गया है। जो लगभग 20 करोड़ की सम्पत्ति है। नगर निगम द्वारा उस भूमि का ऑक्शन किया जाये जिससे नगर निगम की आय बढ़ेगी।

निर्णय :- अम्बेडकर भवन नगर निगम की भूमि पर बना है गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा इसे ऑक्शन कराये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। तो नगर निगम उसे तुरन्त अपने कब्जे में लेकर 1 सप्ताह के अन्दर ऑक्शन की कार्यवाही की जाये। स्वीकृत।

प्रस्ताव संख्या :- 13

मा० कार्यकारिणी बैठक 28.07.2023 के प्रस्ताव संख्या 02 कृष्णा नगर आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 19.06.2023 के अनुपालन में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यालय पत्र संख्या-372/उद्यान/23 दिनांक 24.05.2023 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें मान. एन.जी.टी. नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-143/2023 सुनील वैद्य व अन्य बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.03.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है। प्रकरण का सम्बन्ध गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित वैशाली योजना दिनांक 31.03.2004 को नगर निगम गाजियाबाद को हस्तान्तरित करने के उपरान्त वहाँ स्थित चित्रगुप्त पार्क, भीमराव अम्बेडकर पार्क, कृष्णा वाटिका तथा पौडियम पार्क के पूर्ण रूप से अनुरक्षण न किये जाने तथा प्रश्नगत पार्कों में अतिक्रमण किये जाने के विरुद्ध वादी/याचीकर्ता श्री सुनील वैद्य द्वारा मा. एन.जी.टी. के समक्ष उक्त ओ.ए. संख्या-143/2023 योजित की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है। मा० एन.जी.टी. द्वारा उक्त ओ.ए. में एक संयुक्त कमेटी का गठन कर सभी सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधियों से स्थलीय आख्या हेतु यू.पी.पी.सी.बी. को नोडल एजेन्सी बनाते हुए उनके माध्यम से रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश पारित किये गये। तत्क्रम में संयुक्त कमेटी द्वारा अपनी आख्या दिनांक 22.05.2023 को मा० एन.जी.टी. के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर संज्ञानित होते हुए मा० एन.जी.टी. द्वारा दिनांक-26.05.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये:- The report of the Joint Committee shows that there is no proper maintenance of the public parks which suffer from many shortcomings. 7. In view of the facts and circumstance of the case, we also consider personal appearance of the Officers duly authorized by Commisloner Ghaziabad Nagar Nigam and Commisloner Ghazlabad Development Authority not below the rank of Additional Commisloner to be essential for produckng the relevant documents regarding compliance with environmental norms and assisting this Tribunal in Just and proper adjudication of the questions Involved in the case and they are accordingly directed to remain present before this Tribunal on the date of hearing fixed: 8. List for further consideration on 29.08.2023. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्रीन वैद्य व पार्कों को नगर निगम को हस्तान्तरित करने हेतु पूर्व में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित पत्रों, जिनमें उपरोक्त पार्क भी सम्मिलित थे, के सम्बन्ध में उद्यान विभाग द्वारा तत्कालीन नगर आयुक्त

4
R
सुनील वैद्य

का गैरे द्वारा डाटा कलेक्ट किया गया एक कूड़ा वाहन 28 दिन, 11 दिन, 5, 8, 7, 29, 30, 11, 31, 43, 11 दिन खराब रही है। नगर निगम की जो गाड़ी खराब है वो किस कारण से खराब है, यह पता लगाना आवश्यक है। गाजियाबाद नगर निगम में कूड़े की समस्या आयी है। विगत 1 वर्ष से व्यवस्था खराब नहीं थी, 3-4 माह से ही सफाई व्यवस्था डगमगाई है। क्योंकि नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि फर्म को चार्ज कम दिया जाये चाहे फर्म नगर निगम के कुछ वाहनों का प्रयोग कर सकता। जिससे शहर शहर कूड़ा उचित रूप से उठाया जा सकें। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार फर्म को भुगतान गाड़ी के अनुसार नहीं कूड़ा उठाने के अनुसार दिया जाता है। यदि फर्म द्वारा उचित प्रकार से कार्य नहीं किया जा रहा है तो फर्म पर जुर्माना भी लगाया जाये। कम्पनी बाग का कन्ट्रोल रूम मुख्यालय में स्थापित किया जायेगा। फर्म की गाड़ियों में जी0पी0एस0 के माध्यम से एवं कॉल सेन्टर का कर्मचारी प्रतिदिन यह मॉनिटरिंग करेगा और जानकारी लेगा कि कौन सी गाड़ी चली है कौन सी गाड़ी नहीं चली है। जो गाड़ी नहीं चलेगी उस दिन का गाड़ी का भुगतान नहीं किया जायेगा।

मा0 महापौर जी द्वारा कहा गया कि डोर-टू-डोर गाड़ी एक वार्ड में 2 घण्टे से ज्यादा काम नहीं करती। 11 बजे तक गाड़ी के द्वारा कार्य किये जाने के बाद क्या करती है। अधिकारी द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है। नगर निगम के पुराने कर्मचारी ही सुपरवाइजर बनेंगे सी0एल0सी0 का कर्मचारी सुपरवाइजर नहीं बनेगा।

अन्त में मा0 महापौर महोदया द्वारा मा0 सदन बैठक की समाप्ति की घोषणा की गई।

(सुनीता दयाल)
महापौर
गाजियाबाद नगर निगम

गाजियाबाद नगर निगम

ANNEXURE A-4

अल्पकालीन ई-टेंडर निविदा सूचना

पत्रांक: 6599/उद्यान/2023-24 दिनांक: 11/12/2023

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निर्माणाधीन कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्वोरमेंट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

शासनादेश संख्या 3890/नी-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के क्रम में निविदा शुल्क की धनराशि गाजियाबाद नगर निगम के खाता नं०--628601041088 आई.एफ.सी कोड- ICIC0006286 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा राजनगर, गाजियाबाद में इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS कर रसीद की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा तथा स्कैन कॉपी प्रपत्र प्राप्त न होने की स्थिति में टेंडरदार की निविदा को अवैध माना जाएगा तथा ऐसी निविदा का मतान नहीं लिया जाएगा। निविदा संख्या-02 से 06 तक के लिये धरोहर राशि अंकन रु० 50,000/- (रु० 15,000/- आर.टी.सी.एम व रु० 35,000/- एफ.डी.आर. नोकर लेखाधिकारी के नाम बंधक होगी) जमा करानी होगी।

कार्य की निविदा वेबसाइट से डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि-	दिनांक 16.12.2023 से 03.01.2024 अपराह्न 2:00 बजे तक							
कार्य की निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि-	दिनांक 16.12.2023 से 03.01.2024 अपराह्न 2:00 बजे तक							
निविदा खोलने की तिथि-	दिनांक 03.01.2024 सायं 3:30 बजे से							
क्र. सं०	बाई	कार्य का नाम	आगमन धनराशि	आर.टी.सी. एफ.डी.आर. के माध्यम से 3 प्रतिशत जमा की जाने वाली धरोहर धनराशि	अनुबन्ध की समय 7 प्रतिशत जमा करायी जाने वाली एफ.डी.आर धनराशि	निविदा मूल्य+ 18% GST	कार्य अवधि	पुनः निविदा का विवरण
01	-	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत आबारा श्वानों पर नियंत्रण/अंकुश हेतु ए.वी.सी (एनिमल चर्च कंट्रोल-एन्टी रेविज वैक्सीनेशन) के कार्य हेतु प्रति नग श्वान को दूरे निर्धारित करने का कार्य।	NA	22,500 (3% of 7.50 lac)	7,27,500 (97% of 7.50 lac)	1150+18 % G.S.T	स्वीकृत दिनांक से आगामी आदेशों तक	-
02	-	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत सिटी जोन में स्थित पार्को/ग्रीन वेल्ट में अधिष्ठापित 1.5/03/05 एच.पी मिनी नलकूप/सवमसिंचन पम्प के संचालन (with material) एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य हेतु दरे प्रतिनग प्रतिमाह निर्धारित किये जाने का कार्य।	NA	15000	35000	1150+18 % G.S.T	स्वीकृत दिनांक से आगामी आदेशों तक	-
03	-	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत कविनगर जोन में स्थित पार्को/ग्रीन वेल्ट में अधिष्ठापित 1.5/03/05 एच.पी मिनी नलकूप/सवमसिंचन पम्प के संचालन (with material) एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य हेतु दरे प्रतिनग प्रतिमाह निर्धारित किये जाने का कार्य।	NA	15000	35000	1150+18 % G.S.T	स्वीकृत दिनांक से आगामी आदेशों तक	-
04	-	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत विजयनगर जोन में स्थित पार्को/ग्रीन वेल्ट में अधिष्ठापित 1.5/03/05 एच.पी मिनी नलकूप/सवमसिंचन पम्प के संचालन (with material) एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य हेतु दरे प्रतिनग प्रतिमाह निर्धारित किये जाने का कार्य।	NA	15000	35000	1150+18 % G.S.T	स्वीकृत दिनांक से आगामी आदेशों तक	-
05	-	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत मोहननगर जोन में स्थित पार्को/ग्रीन वेल्ट में अधिष्ठापित 1.5/03/05 एच.पी मिनी नलकूप/सवमसिंचन पम्प के संचालन (with material) एवं अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य हेतु दरे प्रतिनग प्रतिमाह निर्धारित किये जाने का कार्य।	NA	15000	35000	1150+18 % G.S.T	स्वीकृत दिनांक से आगामी आदेशों तक	-
06	-	गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तगत वसुन्धरा जोन में स्थित पार्को/ग्रीन वेल्ट में अधिष्ठापित 1.5/03/05 एच.पी मिनी नलकूप/सवमसिंचन पम्प के संचालन (with material) एवं	NA	15000	35000	1150+18 % G.S.T	स्वीकृत दिनांक से आगामी आदेशों तक	-

	अनुरक्षण सम्बन्धित कार्य हेतु दरे प्रतिनग प्रतिमाह निर्धारित किये जाने का कार्य।						
07	वैशाली स्थित जोडियम तथा कृष्ण वाटिका पार्क, चित्रगाटा पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, मेदा जौन के पार्क-ए वी.सी व डी, तथा कोशाम्बी डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कुल 05 नए पार्कों का 05 माह की अवधि के लिये उद्यान रख-रखाव का कार्य।	836751	25103	58573	1150+18 % G.S.T	05 माह	
08	दिल्ली वैशाली वार्डर से एलिवेटिड रोड होते हुये करहीडा हिण्डन रिवर तक गमलों व गार्डन कार्य तथा राजा डावा से तुलसी निकेतन तक व सिविल एयरपोर्ट तक की सेन्ट्रलवर्ज तथा सड़क के दोनों तरफ ग्रीन बेल्ट का 03 माह की अवधि हेतु उद्यानिक रख-रखाव का कार्य।	824851	24746	57740	1150+18 % G.S.T	03 माह	
09-91	कविनगर जोन वार्ड-91 कविनगर जोनल कार्यालय के सामने के 0एल0-52 के सामने स्थित ग्रीन बेल्ट की दीवार मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	277707	8331	19439	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
10-49	सिटी जोन वार्ड-49 नन्दग्राम सी-ब्लॉक स्थित साई मन्दिर वाले पार्क की मरम्मत का कार्य।	169084	5073	11836	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
11-83	मोहन नगर जोन वार्ड-83 गोल पार्क राजेन्द्र नगर के सामने कूड़ा विलोपन निर्माण का कार्य।	140590	4218	9841	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
12-74	वसुन्धरा जोन वार्ड-74 वसुन्धरा से 0-17 मकान सं0-17/जी 401 के सामने स्थित पार्क में बुजुर्गों के लिये योगाशैड बनाये जाने का कार्य।	393765	11813	27564	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
13-69	सिटी जोन वार्ड-69 लोहिया नगर वी-ब्लॉक श्री पवन गोबल जी के सामने स्थित पार्क की दीवार व फुटपाथ मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	506166	15185	35432	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
14-69	सिटी जोन वार्ड-69 लोहिया नगर स्थित गांधी पार्क में फुटपाथ निर्माण का कार्य।	178709	5361	12510	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
15-55	विजय नगर जोन वार्ड-55 प्रताप विहार ए0-ब्लॉक मा0 पार्पद जी के आवास के सामने स्थित पार्क की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	773987	23220	54179	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
16-9	सिटी जोन के अन्तर्गत वार्ड सं0-09 पटेल नगर सी-ब्लॉक स्थित बुद्ध विहार पार्क की चारदीवारी मरम्मत का कार्य।	321922	9658	22535	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
17-09	सिटी जोन वार्ड-09 पटेलनगर द्वितीय ए-ब्लॉक डा0 राकेश मोहन के सामने स्थित तिकोना पार्क की मरम्मत का कार्य।	1200250	36008	84018	1150+18 % G.S.T	एक माह	
18-14	विजयनगर जोन वार्ड-14 एन0-ब्लॉक टीचर कालोनी स्थित मकान सं0-एन-41 के सामने पार्क की दीवार मरम्मत कर फुटपाथ निर्माण व रंगाई-पुताई का कार्य।	716706	21501	50169	1150+18 % G.S.T	एक माह	
19-65	कविनगर जोन वार्ड-65 औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क की क्षतिग्रस्त दीवार, गेट, ग्रिल मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	998532	29956	69897	1150+18 % G.S.T	एक माह	
20-65	कविनगर जोन वार्ड-65 औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क की क्षतिग्रस्त फुव्वारा की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	997608	29928	69833	1150+18 % G.S.T	एक माह	
21-65	कविनगर जोन वार्ड-65 औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क की क्षतिग्रस्त फुटपाथ की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	993449	29803	69541	1150+18 % G.S.T	एक माह	
22-84	कविनगर जोन वार्ड-84 राजनगर से 0-15 मकान सं0-15/47 के सामने स्थित पार्क की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	306582	9197	21461	1150+18 % G.S.T	एक माह	

43. टेकेदार द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक चार फोटो एवं वीडियो वाट्स एप ग्रुप पर भेजेगा।

निविदा संख्या- 09 से 25 तक के कार्य हेतु शर्तः-

समस्त निविदा द्विपक्षति (तकनीकी/वित्तीय) पर आधारित है।

1. समस्त ई-निविदाओं को बिना कारण स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम में निहित है।
2. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद गाजियाबाद होगा।
3. उपरोक्त द्विपक्षति निविदा (तकनीकी/वित्तीय) द्वारा आमंत्रित की जाती है।
4. प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित घरोहर धनराशि की 3% प्रतिशत धनराशि पृथक-पृथक रूप से गाजियाबाद नगर निगम के खाता संख्या- 50100264496541 आई.एफ.एस.सी कोड- HDFC0000153 बैंक का नाम एच.डी.एफ.सी शाखा राजनगर में जमा कराने उपरान्त उसकी रसीद यू.टी.आर. नम्बर सहित निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा एवं 07% प्रतिशत की धनराशि अनुबन्ध कराने समय एफ.डी.आर. के रूप में कार्यालय में जमा करानी होगी, जोकि लेखाधिकारी गाजियाबाद नगर निगम के नाम से बंधक होगी।
5. उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या- 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में अतिरिक्त प्ररफोमेन्स सिक्योरिटी जमा करना निविदादाता की बाध्यता होगी।
6. सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी, तकनीकी विड में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय विड खोली जायेगी।
7. तकनीकी विड में निम्नलिखित प्रपत्र/प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
 - I. निविदा मूल्य की रसीद।
 - J. घरोहर धनराशि की स्कैन कॉपी।
 - K. नगर निगम गाजियाबाद में रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - L. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
 - M. फर्म को कभी भी किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो। उक्त का शपथ प्रमाण-पत्र।
 - N. नगर निगम गाजियाबाद में पंजीकरण की श्रेणी के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध हैसियत प्रमाण की सत्यापित प्रति।
 - O. निविदा में (निगम निधि हेतु) प्रतिभागी फर्म द्वारा विगत 02 वर्ष के कराये गये कार्यों की टर्नओवर की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित कॉपी एवं बैलेंस शीट सी0ए0 द्वारा प्रमाणित।
 - P. निविदादाता द्वारा कराये गये समान कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
 - Q. गाजियाबाद नगर निगम में ई-श्रेणी में पंजीकृत फर्म/नवीन फर्मों ई-श्रेणी की शर्तों के अनुसार छूट प्रदान की जायेगी।
8. ऐसे निविदादाता/फर्म जो नगर निगम गाजियाबाद में पंजीकृत नहीं हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के आलोक में निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी नम्बर व टर्नओवर उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
9. निविदा स्वीकृत के पश्चात निविदादाता को नियमानुसार स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता को सभी निर्धारित शर्तें मान्य होंगी।


 उद्यान प्रभारी
 गाजियाबाद नगर निगम

GHAZIABAD NAGAR NIGAM

HORTICULTURE SECTION

ESTIMATE

Technical Bid
Spec.
05/01/2024

Name of work: वैशाली स्थित पोडियम तथा कृष्ण वाटिका पार्क, चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, मेट्रो जोन के पॉकेट-ए.बी.सी व डी, तथा कौशांबी डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कुल 05 नग पार्कों का 05 माह की अवधि के लिये उद्यान रख-रखाव का कार्य।

S.N	Item	Unit	Area(sqm.)	Rate	Amount
1.	Complete maintenance of the entire garden features having as per yard stick in the garden area i.e. lawn trees, shrubs, herbs, flower beds, foliages, creepers, hedge etc. including hoeing, weeding pruning replacement of plants, gap filling, watering, mowing of lawn, grass cutting by lawn mover and brush cutter, removal of garden waste, applying Insecticide, pesticide & fertilizers (whenever Required) top dressing of lawn with good earth and manure and maintenance of other garden related works as directed by office-in-charge (Cost of Good Earth, Manure, Fertilizer, Insecticide, Pesticide will be provided by the Department & lawn mover and brush cutter with fuel, other T & P material/articles shall be provided by the contractor.) 2.40 DSR 2020 (area of 05 nos Park in one month = 55970.01 sqm) Note- Including of watering, removal of malba, garbage, toilet and path cleaning work etc.	sqm	55970.01	2.99	167350.33
Total					167350.33
Maintenance work for Five Months including all taxes					836751.65
167350.33 X 5 = 836751.65					


A.E.

विषय:- वैशाली स्थित पोडियम तथा कृष्ण वाटिका पार्क, चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, मेट्रो जोन के पॉकेट-ए.बी.सी व डी, तथा कौशाम्बी डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कुल 05 नग.पार्कों का 05 माह की अवधि के लिये उद्यान रख-रखाव का कार्य।

कृपया गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित वैशाली स्थित पोडियम तथा कृष्ण वाटिका पार्क, चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, मेट्रो जोन के पॉकेट-ए.बी.सी व डी, तथा कौशाम्बी डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कुल 05 नग.पार्कों का निरीक्षण किया गया, जिसमें घास, पेड़-पौधों के रख-रखाव की आवश्यकता है। उपरोक्त पार्कों का रख-रखाव पूर्व से ही गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा कराया जा रहा था किन्तु वर्तमान में उपरोक्त पार्क गाजियाबाद नगर निगम को हस्तान्तरित किया जा चुका है। नगर निगम उद्यान विभाग में सीमित मालियों की व्यवस्था होने के कारण पेड़-पौधों का रख-रखाव ठीक प्रकार से नहीं हो पायेगा जिस कारण शहर के सौन्दर्यीकरण व पर्यावरण पर भी प्रभाव पड़ेगा। शहर के ए0क्यू0आई0(AQI) स्तर, सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त पार्कों में घास, पेड़-पौधे लगाने एवं 05 माह की अवधि हेतु अनुरक्षण/रख-रखाव का कार्य जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है जिससे शहर का प्रदूषण स्तर कम करने में सहायता मिलेगी एवं शहर का सौन्दर्यीकरण भी होगा। गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत वैशाली स्थित पोडियम तथा कृष्ण वाटिका पार्क, चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, मेट्रो जोन के पॉकेट-ए.बी.सी व डी, तथा कौशाम्बी डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कुल 05 नग.पार्कों का 05 माह की अवधि के लिए उद्यानिक रख-रखाव का कार्य गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के एस्टीमेट की दरों के आधार पर प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें अंकन रुपये 8,36,751/- (आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ इक्यावन रुपये) मात्र का व्यय होगा। उपरोक्त कार्य के अनुरक्षण हेतु नियम व शर्तें निम्नवत् हैं-

निविदा में तकनीकी योग्यता हेतु निर्धारित शर्तें:-

1. समस्त ई-निविदाओं को बिना कारण स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम में निहित है।
2. उपरोक्त द्विपक्षीय निविदा (तकनीकी/वित्तीय) द्वारा आमंत्रित की जाती है।
3. निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित धरोहर धनराशि की 03% प्रतिशत धनराशि पृथक-पृथक रूप से गाजियाबाद नगर निगम के खाता संख्या-50100264496541 आई.एफ.एस.सी कोड-HDFC0000153 बैंक का नाम एच.डी. एफ.सी शाखा राजनगर में जमा कराने उपरान्त उसकी रसीद यू.टी.आर. नम्बर सहित निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा एवं 07% प्रतिशत की धनराशि अनुबन्ध कराते समय एफ.डी.आर के रूप में कार्यालय में जमा करानी होगी, जोकि लेखाधिकारी गाजियाबाद नगर निगम के नाम से बंधक होगी।
4. उपरोक्त के क्रम में शासनादेश संख्या- 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में अतिरिक्त परफॉर्मेन्स सिक्योरिटी जमा करना निविदादाता की बाध्यता होगी।
5. सर्वप्रथम तकनीकी बिड खोली जायेगी, तकनीकी बिड में अर्हता प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी।
6. तकनीकी बिड में निम्नलिखित प्रपत्र/प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
 - A. निविदा मूल्य की रसीद।
 - B. धरोहर धनराशि की स्कैन कॉपी।
 - C. नगर निगम गाजियाबाद में रजिस्ट्रेशन/नवीनीकरण के प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
 - D. जिलाधिकारी द्वारा निर्गत वैध चरित्र प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रति।
 - E. फर्म को कमी भी किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा ब्लैक लिस्टेड न किया गया हो। उक्त का शपथ प्रमाण-पत्र।
 - F. निविदादाता को पंजीकृत श्रेणी के अनुसार जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण पत्र तथा लेटेस्ट इन्कम टैक्स रिटर्न की प्रति स्कैन करके ई-निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को नियमानुसार छूट दी जाएगी।

6. निविदा में प्रतिभागी फर्म का विगत 03 वर्ष का टर्नओवर कम से कम 30 लाख का होना अनिवार्य है। इस अभिलेख के प्रमाणिकता हेतु बैलेंस शीट एवं चार्टर्ड एकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित पत्र की प्रति तकनीकी निविदा में अपलोड करना अनिवार्य है।
7. निविदादाता द्वारा कराये गये विगत 03 वर्षों का समान कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र निविदा के समय अपलोड करना अनिवार्य होगा।
8. जी.एस.टी. पंजीकरण प्रमाण-पत्र।
9. ऐसे निविदादाता/फर्म जो नगर निगम गाजियाबाद में पंजीकृत नहीं है। उपरोक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के आलोक में निविदादाता को चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, समान कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र तथा जी.एस.टी नम्बर व फर्म का टर्नओवर उपरोक्तानुसार वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा।
10. निविदादाता को सभी निर्धारित शर्तें मान्य होगी।

उद्यानिक रख-रखाव हेतु कार्य की अतिरिक्त विशेष नियम एवं शर्तें।


1. प्रथमवार (एकल) सशर्त अथवा किसी भी रूप में अपूर्ण निविदाएं मान्य नहीं होगी एवं निरस्त मानी जायेगी।
2. कार्य की अवधि वास्तविक आवश्यकता के आधार पर घटाई बढ़ाई जा सकती है तथा एजेन्सी की सहमति की दशा में अवर अभियन्ता/प्रभारी उद्यान द्वारा निरीक्षण उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर, नगर आयुक्त महोदय द्वारा रख-रखाव की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ाई जा सकती है।
3. नगर आयुक्त महोदय के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि वह बिना किसी कारण बताये समस्त निविदा या आवश्यक समझे किसी एक निविदा को निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।
4. ई - निविदा प्रपत्र में उल्लेखित सभी शर्तें निविदादाता को मान्य होगी।
5. ठेकेदार को कार्य संचालन हेतु आवश्यकतानुसार यान्त्रिक वस्तुओं/पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
6. विनिर्दिष्ट स्थल पर कार्यालय के कार्य दिवस तथा कार्य अवधि सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ही प्राप्त की जायेगी।
7. यह ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी कि निविदा की कीमत भरने से पूर्व कार्य एवं कार्य क्षेत्र देख लें।
8. यदि ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा कोई नुकसान किया जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।
9. यदि ठेकेदार तथा विभाग के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होगा तो ऐसे विवाद का अंतिम निर्णय नगर आयुक्त महोदय का होगा तथा निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
10. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद गाजियाबाद होगा।
11. विभाग को कार्य हित में किसी भी समय ठेका समाप्त करने/ ठेके का समय घटाने का पूर्ण अधिकार होगा।
12. कार्य असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में विभाग द्वारा दिये गये नोटिस प्राप्त के 10 दिन के अन्दर ठीक कराना होगा; अन्यथा कार्य को डेबिटिविल एजेन्सी से बाजार दर पर ठीक करा लिया जायेगा, जिसकी कटौती ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
13. अनुबन्ध के दौरान ठेकेदार के किसी श्रमिक के साथ यदि कोई दुर्घटना आदि हो जाती है तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। नगर निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।
14. कर्मचरियों के ई.पी.एफ व ई.एस.आई जमा कराने का दायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।
15. ठेकेदार को अनुरक्षण प्रकृति के कार्य हेतु श्रमिकों की उपस्थित पंजिका का प्रतिमाह रख-रखाव करना होगा।
16. लेबर एक्ट का पूर्ण रूप से पालन करना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी, तथा कार्य स्थल पर कार्यरत श्रमिकों को प्राथिकृत वर्दी (Uniform) में रहना अनिवार्य होगा।
17. ठेकेदार अपने श्रमिकों की पहचान पत्र देगा, जो ठेकेदार द्वारा सत्यापित होगा।
18. उद्यान अनुभाग की नर्सरी से जो भी पौधे उपलब्ध कराये जायेंगे, उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी, इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
19. सम्बन्धित क्षेत्रों में रख-रखाव आदि कार्यों का भुगतान सम्बन्धित स्थल प्रभारी द्वारा सत्यापन किये जाने के पश्चात् किया जायेगा। माह के अन्तिम सप्ताह में कार्यों का संयुक्त सत्यपान कराना होगा।

20. अंतिम बिल भुगतान के समय गाजियाबाद नगर निगम को चार्ज हस्तान्तरित करने से पूर्व मृत पौधों के शक्तिपूर्ति स्वरूप रु० 150/- प्रति पौधा हरित पट्टियों के रख-रखाव के भुगतान से रु० 100 /- प्रति झाड़ी हरित पट्टियों सड़को के वृक्ष अनुरक्षण के बीजक से तथा रु० 300/- प्रति पौधा की दर से कटौती की जायेगी।
21. निविदादाता / अनुबन्धित एजेन्सी को जो रोपित पौधे रख-रखाव हेतु चार्ज में दिये जायेंगे अनुबन्ध समाप्ति पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा हस्तगत किये गये रोपित पौधों की संख्या के अतिरिक्त 10.00 प्रतिशत अधिक पौधे रोपित / विकसित करके हैण्डओवर करने होंगे। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
22. वृक्षारोपण / उद्यानिक विकास / रख-रखाव के कार्य हेतु ठेकेदार को सिंचाई प्रबन्ध स्वयं करना होगा। इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से वाटर टैंकर, ट्रैक्टर, मशीनरी, पाईप आदि की व्यवस्था गाजियाबाद नगर निगम द्वारा नहीं की जायेगी। सिंचाई कार्य हेतु सम्पूर्ण व्यय ठेकेदार को स्वयं वहन करना होगा।
23. पार्क में लगे मिनी सबमर्सिबल पम्प का अनुरक्षण मय उपकरण सहित तथा संचालन हेतु विद्युत व्यय का वहन अनुबन्धित फर्म द्वारा कार्यावधि तक स्वयं करना होगा ताथ कार्य समाप्त होने पर फर्म द्वारा सबमर्सिबल पम्प को चालू व्यवस्था में हस्तांतरित करने होंगे अन्यथा बिल में नियमानुसार कटौती की जाएगी।
24. रख-रखाव कार्य में पौधों की सिंचाई, निराई गुड़ाई, खरपतवार निकालना व कटाई एवं छटाई, पौधे सुखने की दशा में उसी प्रजाति के पौधे मानक के अनुसार बदलने होंगे। इसके अतिरिक्त कीटनाशक दवा, रासायनिक खाद का छिड़काव आदि का दायित्व ठेकेदार का होगा। इसके लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति नहीं की जायेगी।
25. पार्क में प्रकाश व्यवस्था ठेकेदार को स्वयं अपने स्तर पर करनी होगी।
26. ठेकेदार द्वारा रोड वर्म तथा ग्रीन बैल्ट के आस-पास उगे खरपतवार एवं अनावश्यक घास पर भी नियन्त्रण रखना होगा।
27. रोपित पौधों के रख-रखाव स्थल पर उपलब्ध गाजियाबाद नगर निगम की अन्य सम्पत्ति जो ठेकेदार को गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी हो सही स्थिति में वापस करनी होगी।
28. पार्क में रख-रखाव कार्य के अन्तर्गत लॉन तथा पेड़-पौधों की सिंचाई निराई-गुड़ाई घास काटना आदि का कार्य करना होगा।
29. लॉन में सूखी घास होने पर उसमें नई घास लगाने का कार्य ठेकेदार को ही करना होगा।
30. लॉन में रासायनिक खाद का छिड़काव भी ठेकेदार को समय-समय पर आवश्यकतानुसार करना होगा।
31. वृक्षारोपण के लिए गड्डों का आकार, खाद मिट्टी का मिश्रण म्नक के अनुसार होगा, तथा मानक के अनुसार पौधा लगाना होगा।
32. पार्क में लॉन की कटाई समय-समय पर लॉन मूवर से आवश्यकतानुसार करनी होगी, उससे सम्बन्धित उपकरण एवं संचालन की व्यवस्था ठेकेदार को करनी होगी।
33. पार्क में लगे पौधों (सर्विस तथा वृक्ष) को रागुचित आकार देने के लिए समय-समय पर आवश्यकतानुसार कटाई-छटाई करनी होगी।
34. कटी हुई घास तथा सुखी पत्तियों व पार्क से जो भी कूड़ा निकलता है उसको कम्पोस्टिंग पिट बनाकर पार्क में ही निरस्तारित करना अनिवार्य होगा।
35. पार्क की क्यारियों में सभी मौसमी फूलों के पौधे ठेकेदार द्वारा लगाने होंगे, जिसके लिए कोई भुगतान पृथक से देय नहीं होगा।
36. कार्य स्थल पर निर्धारित मानकों के अनुसार तकनीकी स्टाफ/मालियों की व्यवस्था करनी होगी।
37. ठेकेदार से जी०एस०टी, आयकर तथा यथासंशोधित अन्य कर नियमानुसार काटे जायेंगे।
38. भुगतान की प्रक्रिया माह के अन्तिम सप्ताह के बाद कार्य का सत्यापन करने तथा रख-रखाव का कार्य सन्तोषजनक पाये जाने के उपरान्त ही की जायेगी।
39. रख-रखाव कार्य से सम्बन्धित उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं का समयानुसार पूर्ण करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुबन्ध को निरस्त करने की कार्यवाही तथा जमानती धनराशि जब्त की जा सकती है।
40. निविदादाता द्वारा कार्य गुणवत्तापूर्वक नहीं किया जाता है तो जमानत/परफॉर्मेन्स धनराशि नियमानुसार जब्त की जा सकती है।

41. निविदादाता को कार्य की श्रेणी के अनुसार तकनीकी स्टाफ एवं आवश्यक मशीनरी संयंत्र का शपथ पत्र स्वीकृत करके निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।
42. निविदादाता द्वारा प्रस्तुत अभिलेख उद्यान अनुभाग के सत्यापन की दशा में फर्जी पाये जाने पर थरोकर राशि जप्त कर ली जायेगी। ई-निविदा खुलने के पश्चात न्यूनतम निविदादाता की नर्सरी/मशीनरी एवं स्टाफ का भीतिक सत्यापन किया जायेगा।
43. ठेकेदार द्वारा प्रतिदिन कम से कम एक बार फोटो एवं वीडियो वॉट्स एप ग्रुप पर भेजेगा।

अतः उपरोक्तानुसार गाज़ियाबाद नगर निगम सीमान्तगत वैशाली स्थित पोडियम तथा कृष्ण वाटिका पार्क, चित्रगुप्त पार्क, डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क, मैट्रो जोन के पॉकेट-ए.बी.सी व डी; तथा कौशास्त्री डा0 भीमराव अम्बेडकर पार्क के कुल 05 नग पार्कों का 05 माह की अवधि के लिए उद्यानिक रख-रखाव का के कार्य हेतु तैयार किये गये ब्यानुमान अंकन रूपये 8,36,751/- (आठ लाख छत्तीस हजार सात सौ इक्यावन रूपये) मात्र पर वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति के साथ-साथ निविदा आमंत्रित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करने की संस्तुति सहित आख्या सादर प्रस्तुत है।


वरिष्ठ लिपिक


अवर अभियन्ता


उद्यान प्रमारी


अपर नगर आयुक्त


नगर आयुक्त

गाजियाबाद नगर निगम

Bid will open
On 18/01/24

अल्पकालीन ई-टेंडर निविदा सूचना
पत्रांक 6607/उद्यान/2023-24 दिनांक-02/01/2024

ANNEXURE A-5

गाजियाबाद नगर निगम द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र उत्तर प्रदेश की ई-प्रिक्योरमेन्ट की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से प्राप्त किया जा सकता है।

शासनादेश संख्या 3890/नौ-5-19-149सा/2019 दिनांक 20.09.2019 के क्रम में निविदा शुल्क की धनराशि गाजियाबाद नगर निगम के खाता सं0--628601041088 आई.एफ.सी कोड- ICIC0006286 आई.सी.आई.सी.आई. बैंक, शाखा राजनगर, गाजियाबाद में इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से RTGS कर रसीद की स्कैन कॉपी निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा तथा स्कैन कॉपी प्रपत्र प्राप्त न होने की स्थिति में टेकेदार की निविदा को अवैध माना जायेगा तथा ऐसी निविदा का संज्ञान नहीं लिया जायेगा।

कार्यो की निविदा वेबसाईट से डाउनलोड करने की अन्तिम तिथि-		दिनांक 04.01.2024 से 18.01.2024 अपराहन 2:00 बजे तक						
कार्यो की निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि-		दिनांक 04.01.2024 से 18.01.2024 अपराहन 2:00 बजे तक						
निविदा खोलने की तिथि-		दिनांक 18.01.2024 सायं 3:30 बजे से						
क्र. सं०	वार्ड	कार्य का नाम	आगणन पनराशि	आर.टी.जी. एत. के माध्यम से 3 प्रतिशत जमा की जाने वाली धरोहर पनराशि	अनुवन्ध के समय 7 प्रतिशत जमा करावी जाने वाली एफ.डी.आर	निविदा मूल्य+ 18% GST	कार्य अवधि	पुनः निविदा का विवरण
01	86	मोहननगर जोन वार्ड सं0-86 राधेश्याम पार्क में स्थित छोटा पार्क की क्षतिग्रस्त फुटपाथ, गेट, दीवार की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	748830	22465	52418	1150+18 % G.S.T	एक माह	
02	86	मोहननगर जोन वार्ड सं0-86 राधेश्याम पार्क में स्थित समर्पण पार्क की क्षतिग्रस्त फुटपाथ, मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	782293	23469	54761	1150+18 % G.S.T	एक माह	
03	34	मोहननगर जोन वार्ड सं0-34 स्थित 02 पार्को में मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	468895	14067	32823	1150+18 % G.S.T	एक माह	
04	22	सिटी जोन वार्ड सं0-22, सी0-ब्लॉक स्थित साई पार्क की क्षतिग्रस्त दीवार मरम्मत कर रंगाई का कार्य।	333225	9997	23326	1150+18 % G.S.T	एक माह	
05	51	वार्ड सं0-51 प्रताप विहार एफ0-ब्लॉक स्थित प्रशांत वाटिका की चारदीवारी, फुटपाथ, गेट व ग्रिल मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	999024	29971	69932	1150+18 % G.S.T	एक माह	
06	93	सिटी जोन वार्ड सं0-93 अमन कॉलोनी कैला खेड़ा स्थित जनाजा पार्क में ग्रिल सौन्दर्यीकरण का कार्य।	902695	27081	63189	1150+18 % G.S.T	एक माह	
07	80	मोहननगर जोन वार्ड सं0-80 राजेन्द्र नगर स्थित राम वाटिका की दीवार मरम्मत कर फुटपाथ नवीनीकरण का कार्य।	982366	29471	68766	1150+18 % G.S.T	एक माह	
08	73	मोहननगर जोन वार्ड सं0-73 शालीमार गार्डन स्थित चन्द्रशेखर पार्क में क्षतिग्रस्त फुटपाथ नवीनीकरण का कार्य।	997875	29936	69851	1150+18 % G.S.T	एक माह	
09	-	दसुन्धरा जोन के अन्तर्गत स्थित चित्रगुप्त पार्क की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	997043	29911	69793	1150+18 % G.S.T	एक माह	
10	-	दसुन्धरा जोन के अन्तर्गत स्थित डॉ0 अचेडकर पार्क की मरम्मत का कार्य।	993746	29812	69562	1150+18 % G.S.T	एक माह	
11	-	दसुन्धरा जोन के अन्तर्गत स्थित पोडियम पार्क की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	992938	29788	69506	1150+18 % G.S.T	एक माह	

12		वसुन्धरा जोन के अन्तर्गत स्थित श्रीकृष्णा वाटिका की मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	984442	29533	68911	1150+18 % G.S.T	एक माह	
13	59	सिटी जोन वार्ड-59 रमतेराम रोड स्थित कम्पनी बांग्ला में दीवार निर्माण कर रंगाई-पुताई का कार्य।	967708	29031	67740	1150+18 % G.S.T	एक माह	
14	84	कविनगर जोन वार्ड-84 राजनगर सै0-01 डिफेन्स कालानी व राजनगर सै0-02 दुर्गा भावी पार्क की मरम्मत कर फुटपाथ दुरुस्तीकरण व रंगाई-पुताई का कार्य।	1428774	42863	100014	1150+18 % G.S.T	एक माह	
15	65	कविनगर जोन वार्ड-65 विवेकानन्द नगर मकान सं0-821 के सामने स्थित पार्क की चारदीवारी, फुटपाथ मरम्मत कर रंगाई-पुताई का कार्य।	712406	21372	49868	1150+18 % G.S.T	एक माह	
16	55	विजयनगर जोन वार्ड-55 प्रताप विहार में स्थित कब्रिस्तान के सामने खाली पडी जमीन पर पार्क निर्माण का कार्य।	995807	29874	69706	1150+18 % G.S.T	एक माह	
17	67	कविनगर जोन वार्ड-67, संजयनगर के0-ब्लाक मकान संख्या-977 के सामने स्थित पार्क की दीवार नवनिर्माण व फुटपाथ मरम्मत कर सौन्दर्यीकरण का कार्य।	974851	29246	68240	1150+18 % G.S.T	एक माह	
18	83	मोहन नगर जोन वार्ड-83 गोल पार्क राजेन्द्र नगर के सामने कूड़ा विलोपन निर्माण का कार्य।	140590	4218	9841	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
19	74	वसुन्धरा जोन वार्ड-74 वसुन्धरा सै0-17 मकान सं0-17/जी 401 के सामने स्थित पार्क में बुजुर्गों के लिये योगाशेड बनाये जाने का कार्य।	393765	11813	27564	1150+18 % G.S.T	एक माह	RT
20	59	वार्ड-59 पुराना शहर गजियाबाद, सुभाष पार्क में चारदीवारी मरम्मत कर गेट लगाने का कार्य।	984253	29528	68898	1150+18 % G.S.T	एक माह	
21	09	सिटी जोन वार्ड-09 पटेलनगर वाल्मीकि कुंज स्थित पार्क की चारदीवारी मरम्मत कर फुटपाथ निर्माण व रंगाई-पुताई का कार्य।	895226	26857	62666	1150+18 % G.S.T	एक माह	
22	88	सिटी जोन वार्ड-88 दयानन्द नगर स्थित शिव मन्दिर के बराबर स्थित पार्क की दीवार निर्माण का कार्य।	331423	9943	23200	1150+18 % G.S.T	एक माह	
23	84	कविनगर जोन वार्ड-84 राजनगर सै0-09 स्थित श्रीराम पार्क व दुर्गा भाभी की मरम्मत कर फुटपाथ दुरुस्तीकरण व रंगाई-पुताई का कार्य।	1416060	42482	99124	1150+18 % G.S.T	एक माह	

निविदा शर्तें निम्नवत हैं:-

समस्त निविदा द्विपद्धति (तकनीकी/वित्तीय) पर आधारित है।

1. समस्त ई-निविदाओं को बिना कारण स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम में निहित है।
2. किसी भी वाद/विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद गजियाबाद होगा।
3. उपरोक्त द्विपद्धति निविदा (तकनीकी/वित्तीय) द्वारा आमंत्रित की जाती है।
4. प्रत्येक निविदा हेतु उसके सम्मुख अंकित धरोहर धनराशि की 3% प्रतिशत धनराशि पृथक-पृथक रूप से गजियाबाद नगर निगम के खाता संख्या- 50100264496541 आई.एफ.एस.सी कोड- HDFC0000153 बैंक का नाम एच.डी. एफ.सी शाखा राजनगर में जमा कराने उपरान्त उसकी रसीद यू.टी.आर. नम्बर सहित निविदा के साथ अपलोड करना आवश्यक होगा एवं 07% प्रतिशत की धनराशि अनुबन्ध कराते समय एफ.डी.आर के रूप में कार्यालय में जमा करानी होगी, जोकि लेखाधिकारी गजियाबाद नगर निगम के नाम से बंधक होगी।
5. उपरोक्त के क्रम में अनुबन्ध के समय शासनादेश संख्या- 11593/नौ-5-2021-142सा/2021 दिनांक 07.01.2022 के अनुपालन में अतिरिक्त परफॉर्मन्स सिक्योरिटी जमा करना निविदादाता की वाध्यता होगी।
6. सर्वप्रथम तकनीकी विड खोली जायेगी, तकनीकी विड में अहंता प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की वित्तीय विड खोली जायेगी।
7. तकनीकी विड में निम्नलिखित प्रपत्र/प्रमाण-पत्र स्कैन कर अपलोड करने होंगे।
 - A. निविदा मूल्य की रसीद।
 - B. धरोहर धनराशि की स्कैन कॉपी।

एनपीसी की शक्ति और अनुपात बढ़ाया जा रहा है।

प्रस्तावित 31 जनवरी तक सुधारों को लागू करने का लक्ष्य है।

अध्यायी संख्या: <http://sea.ncpor.res.in/>

विज्ञापन सं.: NCPOR/01/2024

हरियाणा और बंगलुरु समय के पाबंद हवाई अड्डे

नई दिल्ली, एजेंसी। परिचालन प्रदर्शन और समय की पाबंदी के लिए हरियाणा और बंगलुरु के हवाई अड्डों को दुनिया के शीर्ष दस हवाई अड्डों में क्रमशः दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रखा गया है।

विश्लेषण फर्म सिरियम ने वर्ष 2023 को ऑन-टाइम परफॉर्मंस समीक्षा रिपोर्ट में भारत के तीन हवाई अड्डों - हरियाणा, बंगलुरु एवं कोलकाता के साथ भारतीय एयरलाइंसों की तुलना की है।

सोने में 280 रुपये की तेजी, चांदी में मजबूत

नई दिल्ली, एजेंसी। नई दिल्ली। रुपये के मूल्य में गिरावट और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच राष्ट्रीय राजधानी के सरिता बाजार में मंगलवार को सोना 280 रुपये की तेजी के साथ 64,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी की कीमत भी 300 रुपये की मजबूती के साथ 78,800 रुपये प्रति किग्रा पर चढ़ चुकी है।

बीते माह मारुति का उत्पादन 2.96% घटा

नई दिल्ली, एजेंसी। मारुति सुजुकी ने मंगलवार को कहा कि दिसंबर के महीने में उसका कुल वाहन उत्पादन सालाना आधार पर 2.96 प्रतिशत घटकर 1,21,028 इकाई रहा है। मारुति सुजुकी ने कहा, एक साल पहले समान महीने में कंपनी का उत्पादन 1,24,722 इकाई रहा था। मारुति ने दिसंबर में कुल 1,19,518 इकाई का वाहन वाहन का उत्पादन किया जो एक साल पहले के 1,24,135 इकाई की तुलना में 3.72 प्रतिशत कम है।

उत्तर रेलवे

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

उत्तर रेलवे
 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

पूर्वोत्तर रेलवे
 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

पश्चिम रेलवे

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

पश्चिम रेलवे
 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

उत्तर रेलवे

कार्य का नाम और प्रकार	30-Elect-30-T-R1-23-24-E3
निविदा नंबर	30-Elect-30-T-R1-23-24-E3
निविदा की अनुमानित लागत	रु. 69.18 लाख
निविदा खोलने की तिथि	01.02.2024, 12.00 Hrs.
निविदा खोलने की तिथि	01.02.2024, 12.00 Hrs.
वेबसाइट	www.repsa.gov.in

गाजियाबाद नगर निगम

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

गाजियाबाद नगर निगम
 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

अभियुक्त व्यक्ति को हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।

अभियुक्त व्यक्ति को हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा
 भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप मुख्य विद्युत् अधिकारी (उप-डी.डी.) के पद पर रिक्तियों को भरा जाएगा।



गाजियाबाद नगर निगम

(ISO : 9001, 14001, 18001 प्रमाणित संस्था)

पत्रांक:- 396 / उद्यान / 2023-24 दिनांक:- 15.01.2024

सेवा में,

जिलाधिकारी महोदय,
गाजियाबाद।

विषय:- मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-143/2023 सुनील वैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र संख्या-191/एस.टी.-डी.एम./कलेक्ट्रेट/2023 दिनांक 10 नवम्बर 2023 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा मान0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन ओ.ए. संख्या-143/2023 सुनील वैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 06.10.2023 के अनुपालन में दिनांक 08.11.2023 को बैठक आहूत कर वाद संख्या-143/2023 सुनील वैध व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य के क्रम के सम्बन्ध वैशाली गाजियाबाद स्थित चित्रगुप्त पार्क, अम्बेडकर पार्क, कृष्णा पार्क एवं पोडियम पार्क में किये गये अवैध अतिक्रमण को हटाये जाने हेतु समिति का गठन करते हुए निर्देशित किया कि समिति द्वारा उक्त 04 पार्कों के आस-पास अनाधिकृत एवं अवैध अतिक्रमण को 07 दिवस के अन्दर चिन्हित करेगी तथा नगर निगम के सहयोग से उसे हटाये जाने हेतु कार्यवाही की जाये।


उक्त के अनुपालन में समिति के सदस्यों द्वारा पत्र में वर्णित पार्कों का संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण किया गया, निरीक्षण में पाया गया कि प्रश्नगत पार्क के अन्दर किसी प्रकार का अनाधिकृत/अवैध अतिक्रमण नहीं है तथा पार्क के बाहर अस्थायी रूप से किये गये अतिक्रमण को समय-समय पर अभियान चलाकर हटाये जाने की कार्यवाही की जाती है।


अतः उपरोक्तानुसार सादर अवगत कराना है कि वैशाली गाजियाबाद स्थित चित्रगुप्त पार्क, अम्बेडकर पार्क, कृष्णा पार्क एवं पोडियम पार्क में किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है तथा गाजियाबाद नगर निगम द्वारा नगर निगम सीमान्तर्गत आवश्यकतानुसार समय-समय पर अतिक्रमण हटाये जाने की कार्यवाही निरन्तर की जाती है, जिसके क्रम में प्रश्नगत पार्क के बाहर किये गये अनाधिकृत अतिक्रमण को हटाये जाने की फोटो संलग्न कर आख्या आपके अवलोकनार्थ सादर प्रस्तुत है।

संलग्नक:- फोटोग्राफ।


एस.के.भारती
उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण


अमन त्यागी
अधि.अभि.-उ.प्र. आवास एवं विकास
परिषद खण्ड-2 वसुन्धरा


देशराज सिंह
अधि.अभि.-निर्माण


सुनील राय
जोनल प्रभारी-वसुन्धरा जोन


डा0 अनुज कुमार सिंह
उद्यान प्रभारी

प्रतिलिपि:- नगर आयुक्त महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2. विधि अधीक्षक को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।




एस.के.भारती
उद्यान अधिकारी
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

अमन त्यागी
अधि.अभि.-उ.प्र. आवास एवं विकास
परिषद खण्ड-2

देशराज सिंह
अधि.अभि.-निर्माण

सुनील राय
जोनल प्रभारी-वसुन्धरा जोन


डा0 अनुज कुमार सिंह
उद्यान प्रभारी






Ghaziabad
 Uttar Pradesh
 भारत
 12°C
 54°F
 2024-01-08(सोम) 01:03(pm)




Ghaziabad
 Uttar Pradesh
 भारत
 12°C
 54°F
 2024-01-08(सोम) 01:15(pm)




गाजियाबाद
 उत्तर प्रदेश
 भारत
 12°C
 54°F
 2024-01-08(सोम) 12:57(pm)




गाजियाबाद
 उत्तर प्रदेश
 भारत
 14°C
 57°F
 2024-01-08(सोम) 02:53(pm)



दैनिक जागरण मोड्यूल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201010, भारत

गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश
भारत

13°C
55°F

2024-01-08(सोम) 02:50(pm)

Google



दैनिक जागरण मोड्यूल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201010, भारत

गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश
भारत

13°C
55°F

2024-01-08(सोम) 02:46(pm)

Google




दैनिक जागरण मोड्यूल, सेक्टर 3, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201010, भारत


गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश
भारत

13°C
55°F

2024-01-08(सोम) 02:50(pm)

Google





ग़ाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
भारत

12°C

2024-01-08(सोम) 12:57



Ghaziabad
Uttar Pradesh
भारत

13°C
55°F

2024-01-08(सोम) 01:49(pm)



ग़ाज़ियाबाद
उत्तर प्रदेश
भारत

12°C
54°F

2024-01-08(सोम) 01:31(pm)